कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्था/एफ–3/विविध/इन्टर्नशिप/2023 दिनांकः यथाहस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.),
प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त।

विषयः बीएड/डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्कूल स्थानाबद्ध प्रशिक्षण (इंटरशिप) अवधि के वेतन के संबंध मे।

प्रसंगः उप शासन सचिव के पत्रांकः प.5(4)प्राशि/2023–00710 पार्ट 1 जयपुर दिनांकः 15.05.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बीएड/डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्कूल स्थानाबद्ध प्रशिक्षण (इंटरशिप) अवधि के वेतन के संबंध मे विभिन्न प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हो रहे है, के संबंध में प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था।

राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के द्वारा लिखा गया है कि ''**शिक्षकों के वेतन के संबंध में राजस्थान सेवा नियम 1951 का नियम 7(8)(ब) सुस्पष्ट है।**'' इस क्रम में प्रकरण का परीक्षण निदेशालय के लेखा नियम से भी करवाया गया उनके द्वारा भी यह लिखा गया है कि '' **राजस्थान सेवा नियम 1951 का नियम 7(8)(ब) के उप नियमो के अनुसार बिन्दु सं. 01 से 05 तक व परिशिष्ट–9 में पत्राचार बीएड पाठ्यक्रम में इन्टर्रशिप अवधि को कर्त्तव्य (Duty) माना जाना उल्लेखित नहीं है''।**

अतः बीएड/डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्कूल स्थानाबद्ध प्रशिक्षण (इंटरशिप) अवधि के वेतन के संबंध मे उक्तानुसार नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक (शै.)
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2025.08.01 22:27:28 IST
Reason: Approved